भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा ना जलाशय परियोजना मे प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वृक्षारोपण के लिये 55.590 हेक्ट.

वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर
			व्यय
2017-18	भूमि तैयारी	8619000	155046
2018-19	रोपण कार्य	1879000	33801
2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	1732700	3116,9
2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	1857000	33405
2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	670000	LOUIS CONTRACTOR OF THE PARTY O
2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	538000	9678
2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	439000	7897
2024-25	रोपण के पश्चात् षष्टम वर्ष का रखरखाव	489000	8797
2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	537000	9660
2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	634000	11405
G Total			312911

वामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 5 प्रतिशत	869735
भवण एवं मुल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 4 प्रतिशत	
द संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 1 प्रतिशत	173947
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	1739470
महायोग :-	19134170
प्रति हेक्टेयर व्यय :	344202

वन परिक्षेत्र अधिकारी तेजगढ़

तेन्दूखेड़ा दमोह वनमंडल दमोह
नाधि शिरिटें हे ज्या / २१ रिए ०६/०४/२०१८ अनु १०० १००३ आहु ३/४८६५ स्राच्या के वसं रसक

व स्थानार-बना वृत्त मसागर

भाग - 2 प्रमाण - पत्र परियोजना का नाम -पारना जलाशय योजना

8

प्रमाणित किया जाता है कि पारना जलाशय योजना में प्रभावित वन भूमि 55.30 हे. के विरूद्ध कलेक्टर दमोह के आदेश दिनांक 16.04.2013 द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित दमोह जिले की तहसील तेन्द्रखेड़ा, ग्राम दिनारी, में खसरा नंबर 655 कुल रकवा—114.35 हे. में से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रदाय 55.59 हे. भूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक १ प्राप्त को किया गया। प्रस्तावित गैर वन भूमि क्षितिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है। उपरोक्त उल्लेखित गैर वनभूमि रकवा 55.59 हे. पूर्व में किसी अन्य परियोजना / प्रयोजन हेतु प्रस्तावित नहीं की गई है। उक्त हस्तांतरित खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे. गैर वन भूमि को म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक / एफ-25-2 / 2016 / 10-3 दिनांक 02.03.2016 द्वारा भा.व.अ.1927 की धारा-29 में संरक्षित वनभूमि घोषित किया गया। वर्तमान में उक्त अधिसूचित संरक्षित वन भूमि को कोई वन कक्ष क्रमांक आंवटित नहीं हुआ है।

enn

आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्गा (भा.व.से.)गुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर

आदेश कमांक / व्यय / 2018 / 29

सागर दिनांक 0.6./02/2018

वन मंडल अधिकारी दमौह के पत्र क्रमांक/मा.चि./83 दिनांक 02/02/2018 द्वारा प्रस्तुत दमोह जिला में वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पारना जलाशय परियोजना में प्रभावित 55.30 हेक्ट. वनभूमि के बदले 55.59 हेक्ट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार, दिनांक 03/09/2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :--

1. चयनित क्षेत्र का यूजर ऐजेंसी से सीमांकन एवं भूमि को अधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित

लगावे।

2. कार्यो में मितव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रांरभ कराया जाये।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री में भण्डार क्रय नियमों का पालन करे एवं GST का तत्काल भुगतान करे।

4. रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जायेगा। मृदा परीक्षण अनुसार प्रजाति चयन व कृषि उपकरण से सिंचाई करें।

5. कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मुख्य वन संरक्षक (भू—सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/भू—सर्वे/बजट/1415 दिनांक 24/02/2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / 168 दिनांक 18/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊचांई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

7. आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत

करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगी।

क्र	वन मंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम	खसरा क्रमांक	रकवा हे.में.	राशि ₹ में
1	दमोह	तेजगढ़	दिनारी	655	55.59	1,91,34,170.00
		HIWITE CO				(एक करोड़ इक्यानवे लाख चौतीस हजार एक सौ सत्तर मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ

क्रमांक-. 🗅 ... ३ के अनुक्रमांक .. 🗘 पर दर्ज है।

(विकास करण वर्मा) भा.व.से

मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर सागर दिनांक १.ने./02/2018

पृ.क्रमांक / व्यय / 2018 / 765 प्रतिलिपि:-

अपर प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 अपर प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (कैंग्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3 वन मंडल अधिकारी दमोह की ओर उनके पत्र पत्र क्रमांक/मा.चि/83 दिनांक 02/02/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नही कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होगें।

4. मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्न:- अनुमोदित प्रोजेक्ट (अनु० 3 हेतु)

मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर

34

D/Moaz/FCA/ TS

संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

दमाह जिले में प्रस्तावित पारना जलाशय योजना के लिए वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु 55.30 हे. वन भूमि की आवश्यकता हेतु आवेदित वनभूमि का दिनांक 14-01-2018 को संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया, निरीक्षण उपरांत चेकलिस्ट अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

S. No.	Pariticular	Inspection Report by DFO (T.)			
	Extent is hectares.	Sr.no.	Comp. No.	Area(h.)	
1		1	PF 62	44.20	
			PF Total	44.20	
		2	RF 320	6.60	
		3	RF 321	4.50	
			RF Total	11.10	
			rand Total	55.30	
2	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	According to attached list			
3	Legal status of the forest land (Protected forest, reserved	PF 62, (44.20 h.)		h.)	
	forests, revenue forest lands or any other forest land)		RF 320,RF 321 (1		
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes			
5	Any signs of encroachment.	No			
6	Any activity already taken up within the forest land or		.,,		
	adjoining non-forest land as part of the proposed project				
	by the user agency. Details of action taken against the		No	1	
	User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.				
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Site Quality -VB, Density 0.3 to 0.4 Composition – Mixed forest.			
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife) Any latest census of wildlife in this area.	Area has no importance from wildlife point of view.			
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	Not applicable.			
10	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and, if not, why?	RDF			
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	Area has no importance from historical or religious point of view.			
12	Any dependent persons/families on the land.	No persons/Families are dependent on the proposed area.			
13	Any displacement of persons proposed.	No displacement proposed.			
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	As no persons/families are dependent on the proposed area, therefore no resettlement and rehabilitation plan is applicable and there is no dissenting voice.			
15	Compensatory a forestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of the area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than kms.	Compensatory a forestation is being prepared on Non forest land (Revenue land). Area is suitable for CA and CA scheme is preparing in 01 Patch.			

16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 kms.	Proposed area is not a part of protected area. Proposed area is at 06 kms from Rani Durgavati Wild life Sanctuary, at 27 kms from Nauradehi Wild life Sanctuary and at 105 kms from Panna Tiger Reserve Buffer Zone.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in the area.	Rights of the tribals has been recognized. There are no tribals residing on the proposed area.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	Project is of great importance from national point of view and also for development of agricultural including generation of employment to those living in close vicinity of the project.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	It is an application for allocation of fresh forest land.
20	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	Yes, alternatives are examined and proposed forest land is minimum and inevitable.
21	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	Certificate is obtained from the user agency.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	No
23	Any other issue of significance.	No
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	To Provide better irrigation water in cultivable command area 950.00 ha. at Tehasil Jabera Distt. Damoh. It is recommended to divert 55.30 ha. minimum forest land affected in dam submergence area for proposed construction of Parna Minor Tank irrigation project.

Divisional Forest Officer
Damoh(T)

Recommendation Letter (अनुशंसा-पत्र)

जल संसाधन विभाग दमोह के ऑन—लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/ MP/IRRIG/ 30441/2017 में दमोह वन मंडल के परिक्षेत्र—तेजगढ़ के वनक्षेत्र में पारना जलाशय योजना के निर्माण में प्रभावित वनक्षेत्र रकवा 55.30 ha. वनभूमि व्यपवर्तन / उपयोगार्थ हेतु अनुशंसा की जाती है।

एच.एस.मिश्रा (भा.व.से.) वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल, दमोह (म.प्रू.)